न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 176/2017 **दायरा दिनांक : 11.10.2017**

उनवान

1— सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यप्रकाश, आयु 50 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम छीनोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यप्रकाश, आयु 50 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम छीनोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— महेश कुमार पुत्र श्री सत्यप्रकाश, आयु 50 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम छीनोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— दीनदयाल नरवाल पुत्र श्री सूरजमल, आयु 52 वर्ष, जाति हरिजन, निवासी ग्राम छीनोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— रविकान्त पुत्र श्री दूलीचन्द, आयु 26 वर्ष, जाति रेगर, निवासी ग्राम छीनोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— पवन पुत्र श्री कन्हैयालाल, आयु 22 वर्ष, जाति रेगर, निवासी ग्राम छीनोद, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.04.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 27/2017 निर्णय दिनांक 01.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने रास्ते के खुलासे का एक प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त महोदय को यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि ग्राम छीनोद तहसील किशनगंज में आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 345 रकबा 9 बिस्वा के खातेदारान के द्वारा 100 वर्ष पुराना रास्ता बन्द कर दिया है, अतः इस रास्ते का खुलासा किया जाये । यह प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया है और उपखण्ड अधिकारी ने इसको लोक अदालत में निर्णीत कर रास्ते का खुलासा किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के प्राकृति सिद्धांतों के विपरीत है । निर्णय में न तो पक्षकारों के नाम, पते हैं और न ही उनवान है । सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना ही धारा 251 ए के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया गया है । अनुतोष धारा 251 की परिधि में आता है जिसका श्रवणाधिकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार को अथवा शहरी क्षेत्र में सिविल न्यायालय को है । धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थना पत्र नहीं था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र नहीं है वरन 251 के तहत रास्ते के खुलासे का है जिसका श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई न्यायालय की आदेशिका नहीं है वरन जिला कलेक्टर, बारां का एक पत्र है जो रास्ते का खुलासा कराने के लिए प्रेषित किया गया है । संभागीय आयुक्त का पत्र भी जिला कलेक्टर, बारां को प्रेषित किया गया है उसमें आम

रास्ता खुलवाने के बाबत समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । यहां तक कि संभागीय आयुक्त को जो प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट के द्वारा दिया गया है उसमें भी रास्ते के खुलासे की प्रार्थना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आदेशिका के सीधे ही एक निर्णय की प्रति पत्रावली में सलंग्न की है जो दिनांक 01.06.2017 का है। इस निर्णय में तहसीलदार की रिपोर्ट का जो उल्लेख किया गया है, उसमें अंकित है कि रास्ता 50 वर्ष पूर्व बना हुआ है जिसको रोका गया है जिसका खुलासा किया जाना अपेक्षित है । आदेश के अनुसार अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और तहसीलदार का पत्र दिनांक 11.05.2017 जो कि सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार के नाम से जारी किया गया है उसकी एक प्रति महेन्द्र कुमार को दिया जाना अंकित है शेष अपीलांटगण की कोई तामील रिपोर्ट पत्रावली में सलंग्न नहीं है ।

दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस प्रकरण में विचारणीय है वो यह है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने 50 वर्ष से जो रास्ता चल रहा था उसके खुलासे की प्रार्थना की है, नया रास्ता कायम करने की प्रार्थना नहीं की है । रास्ते के खुलासे का श्रवणाधिकार धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार अथवा सिविल न्यायालय को होता है । धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी के द्वारा नया रास्ता कायम किया जा सकता है और नया रास्ता उन्हीं परिस्थितियोंमें कायम किया जा सकता है जब कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं हो । तहसीलदार की रिपोर्ट जो पत्रावली में सलंग्न है उसमें भी कहीं भी यह अंकित नहीं है कि रेस्पोडेंट प्रार्थी के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों एवं सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । निर्णय पारित करने से पूर्व सी पी सी एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 खारिज किया जाता है । रेस्पोडेंटगण रास्ते के खुलासे के लिए धारा 251 के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा